बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

विभागीय पत्रांक– 695 दिनांक– 07.11.2006 द्वारा **'न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग पटना'** के नाम से निर्गत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में विद्यालय का परिवर्तित्त स्थलीय पता **'न्यू एरा हाई स्कूल, ज्ञानचक, पोस्ट– कोठिया, दीदारगंज, पटना'** पढ़ा जाय।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्त्ते पूर्ववत्त रहेगे।

ह/
(दशरथ राम)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक–10/न 4–50/2011...532 पटना, दिनांक 30/06/2011

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, न्यू एरा हाई स्कूल, ज्ञानचक, पोस्ट– कोठिया, दीदारगंज, पटना' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.6.11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

पत्रांक –10/न 4–37/2004 मा0.........../–

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित निकाय 'न्यू एरा सोशल डेवलपमेन्ट वेलफेयर सोसाइटी' के द्वारा किया जा रहा है । शपथ पत्र के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि निकाय में किसी का स्वामित्व नही है और निकाय के सभी सदस्यों के बीच पारिवारिक संबंध नही है। निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है सदस्यों के पेशे के संबंध मे सूचना नही दी गयी है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार निकाय के सदस्यों के पेशा की वास्तविक जानकारी आवश्यक है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के अनुरूप शासी निकाय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेतर कारवाई करना चाहेगा।

2. विद्यालय के द्वारा किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया गया है ।

3. विद्यालय के द्वारा सूचना दी गयी है कि विद्यालय की पास अपनी भूमि 30 वर्षो के लीज पर जानीपुर, फुलवारीशरीफ, पटना में है। तत्काल विद्यालय हनुमान नगर, कंकड़बाग में संचालित है। उक्त स्थल पर विद्यालय ने 100 वर्षो के लीज पर भवन लिया है। भवन में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी है। निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय का संचालन उसके द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित भवन एवं उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं के साथ हो रहा है।

4. विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 27 शिक्षक है, जिनमें 4 प्रशिक्षित है । सभी शिक्षकों की योग्यता NCTE के निर्धारित मानक के अनुरूप बताया गया है। लेकिन विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से उक्त सूचना विरोधाभाषी हो जाती है। शिक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में विज्ञापन की प्रति दी गयी है, परन्तु ऐसे अभिलेख अथवा साक्ष्य उपस्थापित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पूरे नियमों का अनुपालन करते हुए पूर्णतः पारदर्शिता के साथ वस्तुनिष्ठ ढ़ग से शिक्षकों का चयन किया गया हो। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जॉचोपरान्त यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया से समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाती है।

5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की सूचना दी गयी है। आवेदन के साथ कतिपय वर्षो के लेखा का अंकेक्षण की विवरणी भी उपस्थापित की गयी है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है । लेकिन शर्त्तो के अनुरूप जहॉ तक जिन बच्चो का नामांकन नही होगा उनसे लिया गया निबंधन शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि

वापस लौटाने के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि यह परिस्थिति पर निर्भर करता । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चां एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नाभांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तों के आधार पर न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 17.07.06 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त ।

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह),
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 695 पटना, दिनांकः– 7.11.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह),
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 13/न4–34/99–238 राज्य सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग) के कार्यालय आदेश-संख्या–720 एवं 721 दिनांक 26.7.99 के द्वारा क्रमशः सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से निजी विद्यालय के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के शर्त्तें निर्धारित की गयी थी। विधान मंडल में निजी विद्यालयों के प्रबंधन तथा किया–कलाप में माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति और निजी विद्यालयों के संबंध में विधान सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नलिखित नीतिगत शर्त्तें निर्धारित करने का निर्णय लिया है:–

अनिवार्य शर्त्तें

1. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अथवा ट्रस्टीशीप एक्ट के तहत निबंधित होना चाहिए। निबंधित सोसाईटी/ न्यास में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरुप विद्यालय प्रबंधन को सोसायटी/न्यास के प्रत्येक सदस्य का नाम,पूरा पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं0 तथा आपस में सभी सदस्यों के संबंध है, की सूचना सार्वजनिक करनी होगी।

2. विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसायटी/न्यास के franchise के रुप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के brand/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नहीं करेगा।

3. विद्यालय के पास भूमि, भवन, कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्त्तों के अनुरुप होगा।

4. शिक्षक योग्यता/प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) मापदंडों के अनुरुप होगा तथा उनकी नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया से किये जाने की अपेक्षा होगा।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रुप से पढ़ाया जायगा।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क (fees/charges) वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किया जायगा, अर्थात उसे "सूचना पट पर" निकाला जायगा तथा शिक्षक–अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

अपेक्षित शर्त्तें

इसके अलावे निम्नलिखित शर्त्तें यद्यपि बाध्य नहीं होगें, परन्तु राज्य तथा बच्चों के हित में सरकार अपेक्षा करेगी कि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय उसे स्वीकार करें। इसके लिए स्कूल प्रबंधकों की सहमति माँगी जायगी।

7. विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निशुल्क किया जायगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/–रु0 प्रतिवर्ष होगें।

8. नर्सरी, के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन के लिए अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

9. विद्यालय में नर्सरी, के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाय।

10. जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गयी निबंधन तथा आवेदन शुल्क (प्रोसपेक्टस सहित) का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

अनापत्ति पत्र वापस लेने/संबद्धन रद्द करने संबंधी

11. शर्त्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध शिकायतों की सम्पुष्टि के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने तथा यथा आवश्यक संबद्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार सी0बी0एस0सी0/आई0सी0एस0सी0 को अनुशंसा भेज सकेगें।

12. अगर विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य अथवा शिक्षक बच्चों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपराधिक प्रकृति के हैं तथा जिनसे बच्चों के मानवीय अधिकारों (Human Rights) का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में जॉचोपरांत संबंधित विद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा अथवा यथा आवश्यक संबद्धन रद्द करने की अनुशंसा की जायगी।

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 238 पटना, दिनांक 3 मार्च, 06

प्रतिलिपि विभाग के सभी निदेशक/ उप शिक्षा निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 239 पटना, दिनांक 3 मार्च, 06

प्रतिलिपि अध्यक्ष, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली/सचिव, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।